न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 186/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जमी0वि0अधि0

1.श्रीमती दीप्ति पुत्री मान सिंह कण्डारी, निवासी गोला बाजार, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।
2.श्रीमती लक्ष्मी सिंह राणा पुत्री स्व0 जयपाल सिंह राणा, निवासी पाला कुराली, ब्लाक जखोली, जिला रूद्रप्रयाग।

बनाम

1.रणबीर सिंह उर्फ प्रहलाद सिंह पुत्र रणजोर सिंह, निवासी 53 शुभम विहार, फेज–3, आगरा, उ0प्र0 हाल निवासी ग्राम सहसपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा–मुख्तारेखास करण सिंह राणा पुत्र साहिब सिंह राणा, निवासी शिमला रोड़, धर्मावाला, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

2.सिद्धार्थ पुत्र दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम सहसपुर, जिला देहरादून।

3.ग्राम पंचायत शंकरपुर हकुमतपुर, द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत शंकरपुर।

4. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकत्रीगण : श्री एम0एस0 पंवार व श्री सन्दीप बर्तवाल।

अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–01: मौ0 नईम एवं श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकत्रीगण उपरोक्त ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी विकासनगर द्वारा विविध वाद संख्या–40/2010–11 (मूल वाद संख्या–40/2010–11) रणवीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत शंकरपुर हकुमतपुर आदि में पारित आदेश दिनांक 10–02–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है:–

उत्तरदाता/वादी रणबीर सिंह उर्फ प्रहलाद सिंह द्वारा मुख्तारेखास करण सिंह राणा पुत्र साहिब सिंह राणा ने वादग्रस्त भूमि के बावत एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी/176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर जिला देहरादून के न्यायालय में दिनांक 03–08–2011 को प्रस्तुत किया। वाद कार्यवाही के दौरान दिनांक 13–11–2014 को उत्तरदाता/वादी की अनुपस्थिति के

कारण विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद अदम पैरवी में खारिज किया गया। उत्तरदाता/वादी द्वारा वाद के पुनर्जीवन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2014 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा आदेश दिनांक 10–02–2016 से वाद पुनर्जीवित किया गया। इस आदेश के विरूद्व ही निगरानीकत्रीगण उपरोक्त द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उत्तरदातागण की ओर से नियत तिथि 06–12–2017 को किसी के उपस्थित न होने के कारण उत्तरदातागण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निगरानीकत्रीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं सँगत पत्रावलियों का भली–भाँति अवलोकन किया।

निगरानीकत्रीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी पत्र के आधारों को ही सूक्ष्म में अपनी बहस में दोहराया है।

इस निगरानी में एकमात्र बिन्दु यह अन्तर्वलित है कि आलोच्य वाद में प्रस्तुत वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2014/05–12–2014 जो कि अदम पैरवी में वाद अस्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 14–11–2014 को वापस लिये जाने/समाप्त किये जाने विषयक है, को आक्षेपित आदेश दिनांक 10–02–2016 के द्वारा बिना निगरानीकत्रीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये स्वीकार किया गया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 10–02–2016 के द्वारा आलोच्य वाद को पुनर्जीवित किया गया है। वाद पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 13–11–2015 से स्पष्ट होता है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने वाद की कार्यवाही वादी के अनुपस्थित होने के आधार पर समाप्त की। उक्त आदेश पत्र से यह भी विदित होता है कि उक्त तिथि पद वादी के अतिरिक्त निगरानीकत्रीगण/ प्रतिवादीगण भी अनुपस्थित थे। निगरानीकत्रीगण/प्रतिवादीगण के दिनांक 13–11–2014 को परीक्षण न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को स्वीकार/ अस्वीकार करने से पूर्व निगरानीकत्रीगण/प्रतिवादीगण को सुना जाना अनिवार्य नहीं था। निगरानीकत्रीगण ने अपने निगरानी पत्र में यह कथन नहीं किया है कि वे दिनांक 13–11–2014 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित थे। यदि वे उक्त तिथि को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होते तो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधितः बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये नहीं हो सकता था। तद्नुसार निगरानी निराधार एवं निस्सार है।

वाद पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी/उत्तरदाता रणवीर सिंह उर्फ प्रहलाद सिंह का मुख्तारेखास करण सिंह राणा उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 13–11–2014 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित था एवं उसकी ओर से वाद कार्यवाही

स्थगनार्थ प्रार्थना पत्र दिनांक 13–11–2014, कागज संख्या–5/69, भी अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार आदेश दिनांक 13–11–2014 किसी भ्रान्ति के कारण पारित हुआ है जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर उक्त भ्रान्ति का आभास होने पर स्वप्रेरणा से स्वंय वापस ले सकते थे। इस दृष्टि से भी वर्तमान निगरानी निस्सार है एवं अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है। उभयपक्ष विद्वान परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में दिनांक 04–01–2018 को उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित की जाय।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **14–12–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)